राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3557–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–8–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण कमांक 174/2012–13/अपील.

कैलाश पिता सवला मालीवाड़ा
निवासी ग्राम जाम्बुपाड़ा
तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ .....आवेदक

विरूद्ध

1– परमेश्वर पिता सवजी खड़िया
निवासी ग्राम जाम्बुपाड़ा
तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ
2– सरपंच, ग्राम पंचायल रूणजी
जनपद पंचायत पेटलावद, जिला झाबुआ
3– सचिव ग्राम पंचायल रूणजी
जनपद पंचायत पेटलावद, जिला झाबुआ
निम.प्र. शासन
.....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री मनीष ब्यास, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री ऋषि हिनौतिया, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक 5 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, झाबुआ द्वारा आदेश कमांक 3046–97/भू–अभिलेख/रा.नि.का./2011 दिनांक 17–10–2011 से ग्राम जाम्बूपाड़ा के रिक्त कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु तहसीलदार, पेटलावद को आदेशित किया गया । उक्त आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 के अंतर्गत प्रकरण कमांक 99/अ–56/2011–12 दर्ज किया जाकर उद्घोषणा जारी की गई । उद्घोषणा उपरांत आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 द्वारा कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 7–9–2012 को .को आदेश पारित कर ग्राम जाम्बुपाड़ा के कोटवार पद पर अनावेदक कमांक 1 परमेश्वर की नियुक्ति की गई । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद, जिला झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–12–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–9–2012 निरस्त किया जाकर आवेदक की नियुक्ति कोटवार पद पर की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 20–8–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा गया एवं निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा जिस तथाकथित ग्राम पंचायत रूणजी के ठहराव–प्रस्ताव/संकल्प के आधार पर ग्राम जाम्बुपाड़ा में अनावेदक कमांक 1 परमेश्वर पिता रूणजी की नियुक्ति कोटवार पद पर की गई है, उक्त ठहराव–प्रस्ताव अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम पंचायत रूणजी के सचिव अनावेदक कमांक 3 से सांठ–गांठ कर फर्जी तौर अनावेदक कमांक 2 की अनुपस्थिति में बिना सरपंच की सहमति से फर्जी तरीके से सरपंच के हस्ताक्षर कर व सील लगाकर तैयार किया जाकर तहसीलदार, सारंगी के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें दिनांक तक का उल्लेख नहीं किया गया था । उसके बावजूद भी तहसील

न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किए अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति बावत् आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त किए जाने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा जिस ठहराव–प्रस्ताव/संकल्प के आधार पर अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति की गई थी, उक्त ठहराव–प्रस्ताव बावत् कोई एजेण्डा ही नहीं घुमाया गया, और न ही नियमानुसार ग्राम सभा का आयोजन किया गया, न ही ग्राम संभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और न ही ग्राम पंचायत के अन्य पंचगणों को इस बावत् कोई सूचना दी गई, और बिना सरपंच की उपस्थिति व सहमति से बनाये गये ठहराव–प्रस्ताव/संकल्प का नियमानुसार कानून से कोई महत्व नहीं रहता है एवं उक्त विधि विरूद्ध प्रस्ताव–ठहराव के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा की गई अनावेदक कमांक 1 की कोटवार पद पर नियुक्ति को निरस्त किए जाने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की थी । अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त विधिक आदेश को निरस्त करने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर बिना कोई विचार किये आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है, जबकि ग्राम पंचायत, रूणजी की सरपंच अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से यह प्रमाणित है कि अनावेदक कमांक 1 व ग्राम पंचायत रूणजी के सचिव अनावेदक कमांक 3 द्वारा बिना सरपंच की उपस्थिति व सहमति के उक्त फर्जी ठहराव–प्रस्ताव बनाया जाकर अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति करवाई गई थी ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 230 के नियम 4 (1) के प्रावधान की अनदेखी कर आदेश पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है, जबकि उक्त नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि कोटवार का पद खाली होने पर राजस्व अधिकारी जिसे नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, संबंधित ग्राम पचांयत से जिसके क्षेत्र में कोटवार का पद खाली है, सम्यक (उचित) रूप से पारित संकल्प प्राप्त करने के बाद सक्षम व्यक्ति को कोटवार पद पर नियुक्त करेगा, जबकि प्रकरण में आई दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम पचांयत द्वारा प्रस्तुत जिस संकल्प के आधार पर अनावेदक कमांक 1 की नियुक्ति

कोटवार पद पर की गई थी, उक्त संकल्प बिना ग्राम पंचायत की ग्राम सभा कराये एवं बिना सरपंच की सहमति एवं उपस्थिति के फर्जी रूप से सरपंच के हस्ताक्षर करवाकर बिना दिनांक अंकित किए तैयार कराया गया था, जिसका कानून में कोई महत्व नहीं था ।

(5) ग्राम पंचायत रूणजी के अन्य पंचगण व सरपंच व ग्राम जाम्बुपाड़ा की जनता आवेदक को पसन्द करती है एवं आवेदक मृदुभाषी, मिलनसार व शिक्षित होकर आवेदक उक्त पद के लिए अनावेदक कमांक 1 से योग्य व्यक्ति है एवं ग्राम पंचायत के सचिव अनावेदक कमांक 3 द्वारा अवैध रूप से फर्जी ठहराव प्रस्ताव के आधार पर योग्य आवेदक के नाम की अनुशंसा नहीं की गई है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

(1) संहिता के कोटवारी नियमों के नियम 4 (1) में अधिसूचना दिनांक 17–3–1997 तथा म.प्र. राजपत्र में दिनांक 23–4–1999 में किये गये संशोधन के तहत ग्राम पंचायत के संकल्प को अधिमान्यता दिये जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है । ग्राम पचायत द्वारा विधिवत ग्राम सभा आयोजित कर सम्यक रूप से पारित संकल्प प्राप्त करने के पश्चात पात्र व्यक्ति को कोटवार पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अनावेदक कमांक 1 परमेश्वर के पक्ष में संकल्प पारित किया गया है । ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के आधार पर नियोक्ता अधिकारी, तहसीलदार द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कोटवार पद का चयन विधिवत किया गया है, जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) संहिता की धारा 230 के अंतर्गत नियम 4 (1) के अनुसार तहसीलदार उम्मीदवारों के दावों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत आदेश पारित कर उपयुक्त व्यक्ति का कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु चयन करता है । विचारण न्यायालय द्वारा उम्मीदवारों की सकारात्मक योग्यता की तुलना करने के बाद तथ्यात्मक बातों को ध्यान में रखते हुए युक्तिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसे अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) संहिता की धारा 230 में स्पष्ट प्रावधान है कि अपील अथवा पुनरीक्षण प्राधिकारी को नियोक्ता राजस्व अधिकारी (तहसीलदार पेटलावद) द्वारा पारित किये गये आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।

(4) संहिता की धारा 230 एवं कोटवारी नियम 4 एवं 7 के अंतर्गत कोटवार की नियुक्ति हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया । पंचायत का अभिमत उसमें सम्मिलित किया गया, जिस पर की सरपंच, उप सरपंच, रोजगार सहायक, सचिव, अध्यक्ष, पंच आदि के हस्ताक्षर हैं तथा सचिव जो कि शासकीय व्यक्ति है, उसके भी हस्ताक्षर हैं । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया गया, जिसे स्थिर रखने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की गई है ।

तर्को के समर्थन में 2000 आर.एन. 272, 1985 आर.एन. 36, 1980 आर.एन. 279, 1969 आर.एन. 342 एवं 1987 आर.एन. 208 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किए गए ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही लिखित आधार उठाया गया है कि तहसीलदार, पेटलावद द्वारा ग्राम पचांयत रूणजी को कोटवार पद पर नियुक्ति बावत् प्राप्त आवेदनों पर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया था, जिस हेतु ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत ग्राम सभा कर आवेदक कैलाश का नाम तय कर तहसील न्यायालय को भेजा गया था, किन्तु अनावेदक कमांक 1 ने एक फर्जी ठहराव प्रस्ताव बनाकर सरपंच की फर्जी मोहर बनाकर व फर्जी हस्ताक्षर कर तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर नियुक्ति प्राप्त कर ली थी, जिसके संबंध में सरपंच ग्राम पचायत रूणजी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में इस बावत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त शपथ पत्र पर बिना कोई विचार किए तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को मान्य किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कभी भी अनावेदक कमांक 1 के संबंध में प्रस्ताव ठहराव/संकल्प अनुमोदित नहीं किया गया है । वास्तव में ग्राम पंचायत रूणजी द्वारा आवेदक कैलाश का ठहराव प्रस्ताव तहसील न्यायालय में प्रेषित किया था एवं तहसील न्यायालय के उक्त अवैधानिक आदेश को निरस्त किए जाने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई थी । परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त विधिक आदेश को निरस्त किए जाने में अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर त्रुटि की गई है ।

6/ अनावेदक कमांक 3 पूर्व से एकपक्षीय है ।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत संहिता की धारा 230 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कोटवार के पद पर नियुक्ति हेतु उद्घोषणा का प्रकाशन करया गया । तहसीलदार के समक्ष आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 द्वारा कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए । तद्नुसार तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 230 के अंतर्गत बने कोटवारी नियमों के नियम 4 (1) के अंतर्गत ग्राम पंचायत से कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव ठहराव आमंत्रित किया गया है, और ग्राम पंचायत द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में ठहराव प्रस्ताव पारित कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तद्नुसार तहसीलदार द्वारा दिनांक 7–9–2012 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्तुत ठहराव प्रस्ताव के आधार पर अनावेदक कमांक 1 को कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया है । तहसीलदार द्वारा की गई उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस आधार पर तहसीलदार का आदेश अवैधानिक करार देकर निरस्त किया गया कि तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव में दिनांक अंकित नहीं है कि किस दिनांक को सभा आयोजित की गई, और सभा आयोजित कर संकल्प पारित किया गया है । ठहराव प्रस्ताव सचिव द्वारा किस दिनांक को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है । साथ ही तहसीलदार के समक्ष प्रकरण में नियत पेशी पर उम्मीदवार, सरपंच एवं सचिव के उपस्थिति के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह ज्ञात हो सके कि सरपंच या सचिव द्वारा ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । सरपंच ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में पारित ठहराव प्रस्ताव फर्जी है, और उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है, क्योंकि वह तीर्थ पर गई थी । इस संबंध में तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष ग्राम पंचायत रूणजी का जो ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसमें सरपंच, उप सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के हस्ताक्षर हैं, और उनकी पदमुद्रा भी अंकित है, साथ ही ग्राम

पंचायत का कार्यवाही विवरण प्रिंटेड कार्यवृत पर लिखा जाकर पंचों के भी हस्ताक्षर हैं एवं ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी पत्र भी लिखा गया है, जो कि प्रकरण में संलग्न है । अतः केवल दिनांक अंकित नहीं होने के आधार पर ग्राम पंचायत रूणजी का ठहराव प्रस्ताव अवैधानिक मान्य करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा गंभीर भूल की गई है । जहां तक सरपंच के शपथ पत्र प्रस्तुत करने का प्रश्न है, अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में पारित ठहराव प्रस्ताव पर सरपंच, रोजगार सहायक, सचिव, उप सरपंच एवं समस्त पंचों के हस्ताक्षर है, इसलिए केवल सरपंच के शपथ पत्र के आधार पर उक्त ठहराव प्रस्ताव को फर्जी मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सचिव शासकीय कर्मचारी होता है । आवेदक के पक्ष में जो ठहराव प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें भी दिनांक का उल्लेख नहीं है, और केवल सरपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर हैं, जबकि अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में पारित ठहराव प्रस्ताव में रोजगार सहायक एवं उप सरपंच के भी हस्ताक्षर है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में पारित ठहराव प्रस्ताव में दिनांक अंकित नहीं होने से अवैधानिक ठहराया गया है, जबकि आवेदक के पक्ष में पारित ठहराव प्रस्ताव में भी दिनांक अंकित नहीं है, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित ठहराव प्रस्ताव को मान्यता देकर उसकी नियुक्ति की गई है, जो कि पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने में उचित कार्यवाही की गई है । इस संबंध में आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पंचायत सचिव से सांठ–गांठ कर फर्जी ठहराव प्रस्ताव पारित कराया गया है, क्योंकि जैसी कि ऊपर विवेचना की गई है कि ग्राम सभा में उपस्थित सरपंच, उप सरपंच, रोजगार सहायक, सचिव एवं पंचगण के ठहराव प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हैं, इसलिए उसे फर्जी नहीं माना जा सकता है। तहसीलदार द्वारा विधिवत संहिता की धारा 230 के अंतर्गत बने कोटवारी नियमों के पालन में ही कार्यवाही की जाकर अनावेदक कमांक 1 की कोटवार पद पर नियुक्ति की गई है, जो कि पूर्णतः विधिसम्मत कार्यवाही है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त कर आवेदक की कोटवार पद पर नियुक्ति करने में

अवैधानिकता की गई थी, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–8–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर